सं-008/वी.जी.एल./083
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक: 06.11.2008

परिपत्र सं. 31/11/08

विषय: प्रापण पर समयबद्ध कार्रवाई करना ।

आयोग ने यह देखा है कि कभी-कभी निविदाओं पर कार्रवाई करने में अत्यधिक विलंब हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप समय एवं लागत का अधिकतम व्यय तथा व्यापार क्षेत्र से आलोचना भी होती है । अत: यह आवश्यक है कि वैधता को अतिरिक्त समय दिए बिना, निविदा की मूल वैधता के भीतर, समयबद्ध तरीके से निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा संविदाओं को प्रदान किया जाए । एक लघु वैधता अवधि में कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-रेखा का पालन करके तुरंत अंतिम रूप दिया जाए जबकि एक दीर्घ वैधता अवधि का नुकसान यह है कि विक्रेता अवधि के दौरान लागत में संभाव्य बढ़ोत्तरी के पूर्वानुमान में अपने प्रस्ताव देते हैं । इसलिए, वैधता की अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ निर्धारित करना महत्वपूर्ण है ।

2. अत: आयोग संबंधित संगठनों को सलाह देता है कि निविदा की जटिलता, निविदा पर कार्रवाई करने तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने हेतु अपेक्षित समय आदि को ध्यान में रखते हुए, निविदा पूछताछ जारी करते समय बोलियों हेतु मान्य रहने वाला एक तर्कसंगत समय निर्धारित करें तथा सुनिश्चित करें कि अनुबद्ध मूल मान्य समय के भीतर ही निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया जाए । किसी भी प्रकार की देरी को, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण नहीं है, गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए तथा गैर-निष्पादन के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के विरूद्ध तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए ।

3. अतिरिक्त समय की वैधता मांगने वाले मामले न्यूनतम होने चाहिए । असाधारण परिस्थितियों में जहां वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जाती है, वहां इसको वास्तविक समय, वैधता तथा तर्क के आधार पर, उक्त वैधता बढ़ाने को उचित सिद्ध करते हुए रिकार्ड पर लाने की अत्यंत आवश्यकता है ।

4. इन अनुदेशों को तत्काल अनुपालन के लिए कृपया नोट किया जाए ।

हस्ता0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी